

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(पी-176)/2018/ दिनांक:-

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पंजीबद्ध एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2380/2018 द्वारा श्रीमती परमा देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 की पालना में याचिकाकर्ता श्रीमती रमेश, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सवाऊ मूलराज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवाऊ पदमसिंह, खण्ड बायतु, जिला बाड़मेर द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 06.08.2018 प्रस्तुत कर स्वयं को गृह जिले/उपखण्ड में स्थानान्तरण हेतु कानूनी रूप से योग्य पाये जाने पर स्थानान्तरण के संबंध में आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 का मुख्यांश निम्न प्रकार है:-

".... The present writ petition is disposed of with a direction to the respondents to decide the case of the petitioners, while taking into consideration the aforementioned precedent law, by passing a speaking order within a period of 15 days from today. While undertaking such exercise in the aforesaid manner, if the respondents decide the petitioners entitlement for transfer, then appropriate transfer orders shall be issued by the respondents strictly in accordance with law."

प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 की पालना में कार्मिका द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कार्मिका वर्ष 2005 से अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर जैसलमेर/बाड़मेर जिलों में विषम परिस्थितियों में बिना किसी लापरवाही व त्रुटि से पूरी निष्ठा एवं कर्तव्यपरायण से काम कर रही है। अपनी पारिवारिक एवं घरेलू परिस्थितियों के कारण अपना स्थानान्तरण अपने गृह जिले में करवाना चाहती है।

जैसलमेर एवं बाड़मेर में जनहित में नियुक्त अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं। यदि त्रुटिवश (सहवन) से किसी अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का उक्त दोनों जिलों से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण हुआ है तो उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है। चूंकि बाड़मेर एवं जैसलमेर जैसे दुर्गम जिलों में सहज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ही दो जिलों के लिए अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की गयी है तथा ऐसी नियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Add. ANM) का स्थानान्तरण इन जिलों के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका चयन ही इन्हीं जिलों के लिए किया गया है।

मेरे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2018, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परिक्षण उपरांत यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन के पक्ष में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 06.08.2018 निरस्त किया जाता है।

— 50 —
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 11/08/2018

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(पी-176)/2018/2082
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर